न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 40 / 2024

1. पूर्णराम पुत्र हेमराज जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. हरदत पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार साकिन बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. भूपसिंह पुत्र रतिराम जाति कुम्हार साकिन बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. दरियासिंह पुत्र रतिराम जाति कुम्हार साकिन बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. चन्दूराम पुत्र रतिराम जाति कुम्हार साकिन बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्त अपीलांट।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्त रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ता 4

निर्णय दिनांकः– 21/7/2025

अपीलांट पूर्णराम पुत्र हेमराज जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
2. रेस्पोडन्ट नं. 1 ता 4 ने मातहत अदालत में उपस्थित होकर उत्तर पेश किया कि चक नं. 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.नं. 11, 12, 16, 17, 30 में प्रार्थीगण की भूमि है, जो कब्जा काश्त के अनुसार काश्त करते आ रहें हैं एवं चक नं. 5 ए. एम. एस. तहसील भादरा के खाता संख्या 66/60 के मु.न. 16 के कि.न. 16/1 की 0.2270, 16/2 की 0.0260 गै.मु. खाला, 24 की 0.2530, 25/1 की 0.2270, 25/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

की 0.0260 गै.मु. खाला मु.नं. 17 कि.न. 20 ता 22 की 0.7590 हैक्टेयर कुल 1.5180 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का आपस में भाई बंटवारा किया तब चक नं. 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.न. 16 के कि.न. 16 व 25 में खाला के पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उतर आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा गया था, जिसको पूर्णराम पुत्र हेमराज ने रास्ता को खत्म कर दिया, जिसको खुलवाया जावे प्रार्थना पत्र पेश होने पर मातहत अदालत ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट चाही, जिस पर हल्का पटवारी ने रिर्पोट दिनांक 08.05.2024 को पेश की कि चक नं. 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.नं. 16 के कि.नं. 16 व 25 में रास्ता खुलवाने बाबत् विवाद बताया, जिस पर पुनः हल्का पटवारी व गिरदावर से रिपोर्ट ली गई, जो हल्का पटवारी व गिरदावर ने दिनांक 14.05.2024 को पेश की, जिसमें दर्ज किया है कि चक नं. 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.नं. 16 के कि.नं. 16 में ज्वार की फसल, जो लगभग छः सात इंच की खड़ी है तथा कि.नं. 25 में नरमा की फसल काश्त है, जो उग चुकी है। फसल नष्ट कर ही रास्ता खुलवाया जाना उचित है, उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा दिनांक 09.05.2024 को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी प्रकार विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

3. चक नं. 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के खाता संख्या 66/60 के मु.न. 16 के कि.नं. 16/1 की 0.2270, 16/2 की 0.0260 गै.मु. खाला, 24 की 0.2530, 25/1 की 0.2270, 25/2 की 0.0260 गै.मु. खाला मु.न. 17 कि.न. 20 ता 22 की 0.7590 कुल 1.5180 हैक्टेयर भूमि का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। चक नं. 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.नं. 16 के कि.न. 16 व 25 में गै. मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। कानूनी स्थिति के मुताबिक गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर ही मातहत अदालत को रास्ता खुलवाने का अधिकार है। इस प्रकार मातहत अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो निरसत योग्य है।

4. मातहत अदालत ने निर्णय पारीत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। मातहत अदालत, हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा सारी कार्यवाही आपसी मिलिभगत कर क्षेत्राधिकार से बाहर रिपोर्ट व निर्णय पारित किया है जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी बिना क्षैत्राधिकार के मनमाना निर्णय पारित किया है। इसलिए [illegible] का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने [illegible] योग्य है।

5. मातहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया कानूनी स्थिति के मुताबिक किसी भी प्रकार का निर्णय पा[illegible] करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन मातहत अदालत ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया ना ही रास्ता बाबत् जांच की, यदि सही जांच कर पत्रावली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4 को अपने खेत आवागमन के लिए अन्य रास्ता मौजूद है उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 5 ने साजिसाना तरिके से कानून से बाहर जाकर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जिससे अपीलान्ट के साथ अन्याय हुआ है एवं मातहत अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के साथ मजाक किया है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
7. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए निरस्त योग्य है।
8. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
9. मातहत अदालत ने निर्णय पारीत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया मातहत अदालत, हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा सारी कार्यवाही आपसी मिलिभगत कर क्षेत्राधिकार से बाहर रिर्पोट व निर्णय पारित किया है निर्णय की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने पत्रावली की नकल लेने बावत दिनांक 05.09.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जो नकल दिनांक 10.09.2024 को प्राप्त हुई, उसके बाद निर्णय की विधिक जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि निर्णय के खिलाफ अपील पेश कर निरस्त करवाया जाना आवश्यक है तब निर्णय की अपील पेश करने बाबत् जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया और आज बिना किसी देरीना के तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।
10. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।
11. अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 09.05.2024 जिसमें चक 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.नं. 16 के कि.नं. 16 व 25 में से विधि विरूद्व रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया, को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से अपीलाधीन रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता उभय की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वर्णित तथ्यों को दोराहते हुये कथन किया कि तहसीलदार भादरा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा रास्ता खुलवानें बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र के संबध में हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत नहीं। अतः रास्ता खुलवाया जावे। दिनांक 09.05.2024 को रास्ता खुलवा दिया गया, जो कभी स्वीकृत नहीं हुआ एंव राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। अतः तहसीलदार भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा के मु.नं0 16 किला नं0 16 ता 25 पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर में गैर मुमकीन खाला है। खाला के पश्चिम की तरफ आवगमन हेतु कदमी रास्ता है, जिसे अपीलांट द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया। कदमी रास्ता को खुलवानें बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने कार्यालय तहसीलदार भादरा में दिनांक 01.05.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2024 के आधार पर नायब तहसीलदार छानीबड़ी को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। कदमी रास्ता खुलवाया गया। कदमी रास्ता कभी भी खुलवाया जा सकता है। अपील म्याद बाहर पेश की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि कदमी रास्ता को लाभ बरानी क्षेत्र में मिलता है। उपनिवेशन अधिनियम के लागु होनें पर रास्ता स्वीकृत होता है। उपनिवेशन अधिनियम में कदमी रास्ता का कोई प्रावधान नहीं है। हल्का पटवारी की दिनांक 03.05.2024 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों ने पूछताछ में बताया कि रास्ता बंद है। हल्का पटवारी की दिनांक 03.05.2024 की रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 गलत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा की पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय के मत में तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 09.05.2024 को पारित निर्णय में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार भादरा को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि विवादित रास्ता की पुनः रिकार्ड की जांच पड़ताल, मौका निरिक्षण कर एंव रास्ता से प्रभावित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 21/7/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested